



कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

नई अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली-110040

फोन नं.: 27282339, 27285449, टेलीफैक्स नं. 27284089



सं:-38/12/96/ARMC/ARL/CT/P-II/1567

दिनांक 9/12/19

निविदा सूचना


कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली द्वारा अपने कार्यालय में लगे कंप्यूटरों के वार्षिक रख-रखाव हेतु ठेका दिया जाना है जिसके लिए संबंधित कार्य करने वाली इच्छुक फर्मों जिनके पास पैन नं: एवं फर्म/एजेसी के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, से निविदाएं ली जानी है। अतः यदि आपकी फर्म निम्नलिखित विवरण अनुसार कंप्यूटर सिस्टम (विद नैटवर्किंग), प्रिंटर, तथा यू पी.एस की सभी पार्टों एवं वायर सहित वार्षिक रख-रखाव का ठेका लेने हेतु इच्छुक है तो आप अपनी निविदा दिनांक 20.12.2019 दोपहर 2:00 बजे तक समिति कार्यालय में जमा करा दे। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.12.2019 को दोपहर 3:00 बजे खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।

क्र. सं. वस्तु का नाम	संख्या
1. कंप्यूटर सिस्टम पी- 3 एच,सी,एल	1
2. कंप्यूटर सिस्टम एचपी 3330 इंटैलकौर आई- 33220 प्रोसैसर	12
3. एच. पी. लैजर जैट प्रिंटर 1200 सीरज	1
4. एच.पी. प्रिंटर, फैंक्स मशीन एम. 1522 एन.एफ.	1
5. एच.पी.लैजर जैड प्रिंटर 2055 डी एन	1
6. एच.पी.लैजर जैड प्रिंटर 1020 प्लस	3
7. डॉट मैट्रिक प्रिंटर टीवीएस एचडी 250 गोल्ड	10
8. यू.पी.एस विद बैटरी	17
9. एच, पी, लैपटोप (नौट बुक 15 जी-बी आर 011 टी एकस)	1
10. एच, पी, स्केनर+ प्रिंटर (एमफ पी 128 फ. न)	1

उपरोक्त विवरण अनुसार कंप्यूटरों के वार्षिक रख-रखाव के ठेके के अंतर्गत आपको समिति में निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार अपनी सेवाएं देनी होंगी।

1. ठेके की अवधि दो वर्ष के लिए होगी जिसका अनुबंध रू 100.00 के स्टैप पेपर पर आप द्वारा समिति कार्यालय में देना होगा। यह ए.एम.सी कभी भी एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. ठेके की राशि का भुगतान प्रत्येक छमाही पर (दो वर्ष के रख-रखाव की कुल राशि का 25 प्रतिशत) कार्य संतोषजनक होने पर किया जाएगा।
3. संबंधित ऐजेंसी को समिति द्वारा दर्ज शिकायत हेतु आने के अलावा कम से कम माह में एक बार अनिवार्य रूप से सभी उपकरणों के देख-रेख के लिए विजिट करनी होगी।
4. समिति द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपको अगले दिन तक समिति कार्यालय में अनिवार्य रूप से अपना इंजीनियर भेजना होगा और यदि कंप्यूटर के किसी पार्ट को ठीक करने में समय लगता है तो फर्म द्वारा उस पार्ट का विकल्प तुरंत समिति में उपलब्ध कराना होगा।
5. यदि उपरोक्त वर्णित सभी कंप्यूटर सिस्टमों का कोई भी पार्ट जैसे:- हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, सी.पी.यू के सभी इंटरनल पार्ट्स, डीवीडी राईटर, मॉनिटर, स्पीकर, एडेप्टर तथा प्रिंटर के सभी पार्ट्स केवल टोनर व कार्टेज आदि को छोड़कर यदि खराब होता है तो वह फर्म द्वारा ही बदला जाएगा उसके लिए समिति द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. कार्य संतोषजनक न पाए जाने तथा नियम व शर्तों की अवहेलना करने पर दो वर्ष के रख-रखाव के ठेके की कुल राशि में से 2 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी।

उपरोक्त विवरण अनुसार सभी पार्टों व लेबर चार्जिज सहित एवं उपरोक्त नियमों व शर्तों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए रख-रखाव का ठेका लेने हेतु यदि आप निविदा सूचना में वर्णित सभी कंप्यूटर सिस्टमों/ उपकरणों की स्थिति देखना चाहे तो आप समिति कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को बुधवार को छोड़कर प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:30 बजे के बीच समिति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


हस्ता/-

(देवेन्द्र सिंह डबास)

सहायक सचिव

प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड, नई व पुरानी अनाज मण्डी, नरेला,